UPKU100050652026

न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

Bail Application No–1329/2026

आदेश

दिनांक–03.06.2026

अभियुक्त/प्रार्थी **नीमा शेरपा** की ओर से **प्रथम** जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अप०सं०–319/2026, अन्तर्गत धारा–61(2),319(2),318(4),336(3),338, 340(2) बी०एन०एस०, थाना– कसया, जिला–कुशीनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी जमानत देने को तैयार है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तलब कर सुनवाई करने की याचना किया गया है तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का आज ही निस्तारण करने पर बल दिया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र **खारिज** किया जाता है।

जे०एम०

कसया,कुशीनगर।

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.06.03 16:58:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court